समाहरणालय, मधेपुरा

(स्थापना शाखा)

-: आदेश :-

श्री संजय कुमार सिंह, निलंबित राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, आलमनगर (मधेपुरा) को दिनांक 01.04.2014 को 20,000(बीस हजार) हजार रूपये रिश्वत लेते निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया। अंचल अधिकारी, आलमनगर के पत्रांक-162-2, दिनांक 03.04.2014 के प्रतिवेदन के आलोक में श्री संजय कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, आलमनगर को इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 314-2/स्था0, मधेपुरा, दिनांक 11.04.2014 द्वारा निलंबित करते हुए श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। अंचल अधिकारी, आलमनगर को श्री सिंह, निलंबित राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के माध्यम से भेजने का निदेश दिया गया। श्री सिंह दिनांक 06.12.2014 को जेल से जमानत पर छूटने के पश्चात दिनांक 09.12.2014 को अंचल कार्यालय, आलमनगर में योगदान समर्पित किया। बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(3)(1) में अंकित प्रावधान के आलोक में यथा दिनांक 09.12.2014 (योगदान की तिथि) के प्रभाव से श्री सिंह, निलंबित राजस्व कर्मचारी का योगदान कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1040-2/स्था0, दिनांक-19.12.2014 स्वीकार किया गया तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(3)(2) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री सिंह, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, आलमनगर के निलंबन को बरकरार रखते हुए अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा मुख्यालय निर्धारित किया गया।

अभियोजन की स्वीकृति :-

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 923/अप0शा0, पटना दिनांक 28.04.14 द्वारा निगरानी थाना कांड सं0-026/2014, दिनांक 02.04.2014, धारा-7/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी) भ्र0नि0अधि0, 1988 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री संजय कुमार सिंह, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, हल्का नं0-4, प्रभारी अंचल निरीक्षक, अंचल आलमनगर, जिला-मधेपुरा के विरूद्ध धारा-19 भ्र0नि0अधि0, 1988 के प्रावधानों के तहत अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार पटना के उक्त प्रस्ताव के आलोक में विधि शाखा, के आदेश ज्ञापांक 521/विधि, मधेपुरा, दिनांक 09.05.2014 द्वारा बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली 1958 के नियम 104 एवं भ्र0नि0अधि0 1988 की धारा-19(1)(सी) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगरानी थाना कांड सं0-026/2014, दिनांक 02.04.2014, धारा-7/13(2)-सह-पठित धारा-13(1)(डी) भ्र0नि0अधि0-1988 एवं धारा-19(1)(सी) भ्र0नि0अधि0-1988 के प्रावधानो के तहत प्राथमिकी अभियुक्त श्री संजय कुमार सिंह, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, हल्का नं0-04, प्रभारी अंचल निरीक्षक, अंचल कार्यालय, आलमनगर, जिला-मधेपुरा के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

आरोप :-

क्रमांक	आरोप	साक्ष्य
01	श्री ललन सिंह, पिता-स्व0 राम परीक्षण सिंह, सा0+थाना-आलमनगर, जिला-मधेपुरा खाता सं0-1775, खेसरा नं0-3866, 3865,3864 रकवा क्रमशः 65 डी0, 2.75 एकड़ एवं 32 डी0 कुल रकवा 3.72 एकड़ का 1/12 वाँ हिस्सा अर्थात 31डी0 भूमि का अपने नाम दाखिल कराना चाहते थे। दाखिल खारिज के बदले आप (राजस्व कर्मचारी, श्री संजय कुमार सिंह) के द्वारा 20,000(बीस हजार) रूपये रिश्वत की मांग की गई। फलतः श्री ललन सिंह द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत की गई। उक्त शिकायत के आधार पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम द्वारा दिनांक 01.04.2014 को 20,000(बीस हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ आप (राजस्व कर्मचारी, श्री संजय कुमार सिंह) को पकड़ कर हिरासत में लिया गया। आपके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या-026/2014 दिनांक 02.04.2014, अन्दर धारा 7/13(2)सह पठित धारा 13(1)(डी)भ्र0नि0अधि0, 1988 दर्ज किया गया। उक्त आचरण सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है।	1. दाखिल खारिज वाद सं0-4000/13-14 के अभिलेख की छायाप्रति। 2.निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार पटना के श्री ललन सिंह द्वारा दिया गया शिकायत पत्र की छायाप्रति। 3.पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार, पटना के पत्रांक- 923 दिनांक-28.04.2014 (अनुलग्नक सहित) की छायाप्रति। 4.जिलाधिकारी, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक 314-2/स्था0, दिनांक 11. 04.2014 की छायाप्रति।

संचालन पदाधिकारी का नियुक्ति :-

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-671-2/स्था0, मधेपुरा दिनांक 06.08.2014 द्वारा श्री संजय कुमार सिंह, निलंबित राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, आलमनगर के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र 'क' के संचालन हेतु श्री विनय कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को संचालन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, आलमनगर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्यः-

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम द्वारा दिनांक 01.04.2014 को 20000(बीस हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा जाना आरोप प्रमाणित होता है।

द्वितीय कारण पृच्छाः-

इस कार्यालय के ज्ञापांक 275-2/स्था0, मधेपुरा, दिनांक 31.03.2015 के द्वारा श्री संजय कुमार सिंह, निलंबित राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, आलमनगर, मुख्यालय-अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा को द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने का आदेश दिया गया। श्री संजय कुमार सिंह, निलंबित राजस्व कर्मचारी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाब दिनांक 24.04.2015 को समर्पित किया है। द्वितीय कारण पृच्छा के जबाब में श्री संजय कुमार सिंह निलंबित राजस्व कर्मचारी द्वारा निम्न तथ्य प्रस्तुत किया गया है :-

(क) यह है कि समाहरणालय के ज्ञापांक- 314-2 दिनांक- 11.04.2014 द्वारा उन्हें गिरफ्तारी के दिन अर्थात् 01.04.2014 के भूतलक्षी प्रभाव से निलंबित किया गया, लेकिन उक्त पत्र में अंकित

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण,अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 के अन्तर्गत स्वीकृत निर्वाह भत्ते का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।

बिहार सेवा संहिता के नियम 100 के अन्तर्गत कारामुक्त होंने के पश्चात् निलंबन आदेश स्वमेव समाप्त हो जाता है। पुनः नियमावली के नियम 9(3) के अन्तर्गत भी कारामुक्त होंने के पश्चात् योगदान देनें पर निलंबन आदेश स्वतः निरस्त माना जाता है और यदि सक्षम प्राधिकार ने आवश्यक समझा तो दूसरा निलंबन आदेश जारी किया जा सकता है। उन्हें योगदान के पश्चात् न तो दूसरे निलंबन आदेश की प्राप्ति हुई है और न किसी प्राधिकार नें कार्यालय में कार्य करनें की अनुमति दी है। अर्थात उन्हें वेतन तथा निर्वाह भत्ता दोनों से वंचित कर संविधान कि धारा 21 और 300 A के विपरीत जीने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। संविधान की इस धारा के अर्न्तगत उनके पिछले वकाये राशि की भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

समाहरणालय के संदर्भित ज्ञापांक 275-2 दिनांक 31.03.15 के साथ संलग्न जांच प्रतिवेदन के अनुसार एक भी दिन नियमावली के नियम 17 के अनुसार कार्यवाही नहीं चलायी गई। न तो एक भी दिन उपस्थापन पदाधिकारी उपस्थित हुए और 14.02.2015 के अलावा एक भी दिन उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया। जांच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा अंतरिम बयान को उद्धृत कर दिया गया है। अर्थात न तो एक भी साक्ष्य की उपस्थिति हुई ताकि उसका परीक्षण तथा प्रति परीक्षण हो सके। इसके साथ ही उपस्थापन पदाधिकारी ने भी एक भी दिन अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया।

संदर्भित प्रतिवेदन की अंतिम कंडिका निष्कर्ष का अवलोकन करने का अनुरोध किया है, सुलभ प्रसांगार्थ इसे नीचे अविकल रूप में उद्धृत किया गया है। 'निगरानी अन्वेषण ब्यूरो' की टीम द्वारा दिनांक-01.04.2014 को 20000(बीस हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा जाना। आरोप प्रमाणित होता है। अर्थात निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम द्वारा तथाकथित रूप में पकड़े जाने की सूचना ही शास्ति अधिरोपित करने के लिये पर्याप्त माना गया है। यदि तथ्य को स्वीकार कर लिया जाय तब संचालन पदाधिकारी के द्वारा तथाकथित जांच की आवश्यकता ही नहीं थी, और उन्हें तथाकथित रूप में पकड़े जाने के दिन ही संविधान की धारा 311(2) तथा संविधान की धारा 309 अन्तर्गत विनियमित बि0से0स0 (वर्गी0नियं0अपील) नियमावली-2005 की उपेक्षा करते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा शास्ति अधिरोपित किया जा सकता था। इतना ही नहीं यदि संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में उल्लिखित इस निष्कर्ष के बिना किसी जांच के स्वीकार कर लिया जाय, तब तो किसी न्यायालय की निर्णय की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी तथा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ही दण्डादेश पारित करने हेतु सक्षम होगी।

ऐसी परिस्थिति में इस विभागीय कार्यवाही को विखंडनीय मानते हुए उन्हें दोष मुक्त करने का अनुरोध किया है।''

इस कार्यालय के ज्ञापांक 381-2/स्था0, दिनांक 19.05.2015 द्वारा श्री संजय कुमार सिंह निलंबित राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, आलमनगर को दिनांक 26.05.2015 को पूर्वाह्न 10.00 बजे जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय वेश्म में उपस्थित होने का निदेश दिया गया। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 440-2/स्था0 दिनांक 09.06.2015 के द्वारा दिनांक 20.07.2015 को पूर्वाह्न 10.00 बजे जिलाधिकारी, मधेपुरा के कार्यालय वेश्म में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। अपरिहार्य कारण से सुनवाई नहीं हो सकी। पुनः इस कार्यालय के ज्ञापांक 577-2/स्था0, दिनांक 27.07.2015 द्वारा श्री सिंह को दिनांक 06.08.2015 को पूर्वाह्न 10.00 बजे उपस्थित होने का निदेश दिया गया। श्री सिंह, राजस्व कर्मचारी उपस्थित होकर अपना लिखित

बयान दिया। श्री संजय कुमार सिंह, निलंबित राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, आलमनगर द्वारा दिनांक 07.08.2015 को निम्नांकित लिखित ब्यान दिया है, जो निम्न प्रकार हैः

"श्री ललन सिंह पिता स्व0 राम परीक्षण सिंह द्वारा लगाये गये कुछ आरोप की ओर ध्यान पुनः आकृष्ट करना चाहूँगा, जो श्री ललन सिंह के बयानों के बीच विरोधाभाष व्यक्त करता है, आरोप के अनुसार उनके (आरोपी) द्वारा दाखिल-खारिज करने के बदले रिश्वत की माँग की गई थी, जिसकी सूचना श्री ललन सिंह द्वारा देने के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने रिश्वत लेते पकड़ा था। इस आरोप के समर्थन में समर्पित विरोधाभाषी कागजातों का अवलोकन करने का अनुरोध किया है।

श्री ललन सिंह के दाखिल-खारिज का आवेदन दिनांक 25.02.14 से पहले ही उन्हें इस बात की जानकारी मिल गई थी कि उनसे रिश्वत की राशि मांगने वाला है, जिसकी सूचना उन्होने दिनांक 21.02.14 को दे दी । श्री ललन सिंह के शपथ-पत्र के अनुसार श्री ललन सिंह चार भाई है उसके पिता तीन भाई थे। इस तरह पूरी संपति में उसका हिस्सा 1/12 अर्थात् लगभग 31 डीसमल होता है। ठीक इसके विपरीत ललन सिंह द्वारा ही समर्पित जमीन की रशीद के अनुसार कुल जमीन 95 डी0 है। जिसका 1/12 हिस्सा 8 डी0 से भी कम होता है। इस तरह श्री ललन सिंह द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के अनुसार उनके हिस्से 31 डी0 जमीन है जबकि उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये रसीद के अनुसार उनके हिस्से में 8 डी0 से भी कम जमीन है। सुलभ प्रसंगार्थ उनके शपथ-पत्र एवं उसके द्वारा निगरानी विभाग को दी गई रसीद की छायाप्रति संलग्न किया है।

इस तरह स्वंय परिवादी के अनुसार 21 फरवरी 2014 को परिवाद पत्र समर्पित करने के बाद परिवाद के समर्थन में दाखिल-खारिज से संबंधित आवेदन समर्पित किये है।

इसी तरह 19.06.2013 को अपने अधिकार क्षेत्र में 95/8 डी0 जमीन स्वीकारते हुए दिनांक 25.02.2014 को उसे पुनः 31 डी0 ज़मीन यानी सात महीने के अंदर उसकी जमीन की रकवा चौगुनी हो गई है।

अंचल कार्यालय, आलमनगर, के आदेश फलक के अनुसार अंचल अधिकारी, आलमनगर, ने 14.03.14 को उनके दाखिल-खारिज आवेदन को अस्वीकृत कर दिया था। तथा इसके बाद उन्होने अंचल अधिकारी के खारिज आदेश को उनके पक्ष में दाखिल-खारिज करने के लिये परिवादी से रिश्वत की मांग की सुलभ प्रसंगार्थ आदेश फलक 14.03.14 की छायाप्रति संलग्न किया है।

परिवादी श्री ललन सिंह की पटना, आलमनगर में उपस्थिति एवं निगरानी विभाग द्वारा श्री सिंह के ट्रैपिंग के बारे में साक्ष्य विभिन्न कारणों सें यहाँ अभी प्रस्तुत नहीं करने की बात कही है। श्री सिंह का कहना है कि इससे उनके आपराधिक मामलों की सुनवाई पर कुप्रभाव पड़ सकता है।

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा दिनांक 14.02.15 को समर्पित किये गए जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने का अनुरोध किया है, जिसमें उनके द्वारा संसुचित है कि आरोपी उपस्थित है उपस्थापन पदाधिकारी अनुपस्थित है। एवं आरोपी द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया है। आरोपकर्त्ता की उपस्थिति की चर्चा नहीं की गई है। जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से ही स्पष्ट होता है कि इस विभागीय कार्रवाई के दौरान अभी तक की गई कार्रवाई अन्तर्गत आरोपी की मुलाकात न तो आरोपीकर्त्ता से हुई है और न ही विभागीय कार्यवाही के उपस्थापन पदाधिकारी से हुई है।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत पत्रांक- 3357 दिनांक- 04.11.2011 का अवलोकन करने का अनुरोध किया है जो सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को संबोधित है। जिसके अन्तर्गत C.W.J.C. NO. 1508/2009 रामविलास ठाकुर बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय

पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक- 07.07.2011 के संबंध में निर्देशित है। इस पत्र के द्वारा ऐसा कहा गया है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली, 2005 में विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु निम्नांकित प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, से संबंधित पत्र की कुल 9 पन्ने छायाप्रति संलग्न किया है।

आरोप पत्र के अनुसार वर्णित सभी आरोपों को साबित करने का दायित्व पूरी तरह से उपस्थापन पदाधिकारी की होती है, इस विभागीय कार्यवाही में कभी उपस्थापन पदाधिकारी उपस्थित हुए ही नहीं हैं। श्री ललन सिंह, आरोप कर्त्ता भी कभी उपस्थित नहीं हुए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से न तो किसी गवाह की गवाही ली गई है, न गवाहो के साथ आरोपी को परीक्षण प्रति परीक्षण करने का मौका मिला है।

दूसरे शब्दों में विधि सम्मत रूपों से ऐसा कहना गलत नही होगा कि श्री ललन सिंह द्वारा लगाये गये आरोप पूरी तरह से उनके स्वार्थ पूर्ति नहीं होने के कारण षडयंत्र पर आधारित हैं, जो पूर्णतया भारतीय संविधान, नैसर्गिक न्याय एवं सरकार के द्वारा निर्धारित माप दण्डों के प्रतिकुल है।

जाँच पदाधिकारी द्वारा ऐसा मान लेना कि निगरानी अन्वेषण की टीम द्वारा दिनांक- 01.04.2014 को मो0 20000(बीस हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा जाना आरोप प्रमाणित होता है, के संबंध में आरोपी का कहना है कि संचालन पदाधिकारी, उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के भाग VI नियम 17 के अन्तर्गत वर्णित उपनियमों के मापदंड पर आधारित नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में बिना किसी जाँच के निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा लगाए गए आरोपो को सही मान लिया जाय तो वैसी स्थिति में किसी भी न्यायालय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

अपने निलंबन से संबंधित स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि समाहरणालय के ज्ञापांक 314-2, दिनांक- 11.04.2014 द्वारा उन्हें गिरफ्तारी के दिन अर्थात् 01.04.2014 के भूतलक्षी प्रभाव से निलंबित किया गया लेकिन उक्त पत्र में अंकित बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली) 2005 के नियम 10 के अन्तर्गत स्वीकृत निर्वाह भत्ते का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।

बिहार सेवा संहिता के नियम 100 के अन्तर्गत कारामुक्त होने के बाद निलंबन आदेश स्वतः समाप्त हो जाता है। पुनः नियगावली के नियम 9(3) के अन्तर्गत भी कारामुक्त होने के बाद योगदान करने पर निलंबन आदेश स्वतः निरस्त माना जाता है और यदि सक्षम प्राधिकार ने आवश्यक समझा तो दूसरा निलंबन आदेश जारी किया जा सकता है। योगदान के बाद न तो दूसरे निलंबन आदेश की प्राप्ति हुई है और न किसी प्राधिकार ने उन्हें कार्यालय में काम करने की अनुमति दी है। अर्थात् उन्हें वेतन और निर्वाह भत्ते दोनो से वंचित रखते हुए संविधान की धारा 21 और 301 के विपरीत जीने के अधिकार से वंचित करने की बात कही है। संविधान की इस धारा के अन्तर्गत उन्हें पिछले बकाये राशि के भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

निलंबन अवधि के दौरान जीवन-यापन भत्ता दिये बिना जाँच उचित नहीं है। जेटमल बनाम राजस्थान राज्य, 1985 (1) एस0एल0जे0 68 ।

उक्त वर्णित परिस्थिति में इस विभागीय कार्यवाही को विखंडनीय मानते हुए अरोपी द्वारा पूरी तरह से दोषमुक्त करने का अनुरोध किया है।

विचारण :-

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम एवं अभिलेख, आरोपी श्री संजय कुमार सिंह, निलंबित राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, आलमनगर के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा एवं विभागीय कार्यवाही सुनवाई के दौरान दिये गये लिखित अभिकथन का अवलोकन किया। संचालन पदाधिकारी ने अधिगम में स्पष्ट उल्लेख किया है कि श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप कि रिश्वत लेते निगरानी ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया है, प्रमाणित होता है तथा श्री सिंह ने भी अपने उपर लगाये गये आरोप के बचाव में तार्किक उत्तर नही दिया है। परिवादी ललन सिंह से सम्बन्धित नामान्तरण वाद संख्या-4000/2013-14 के मूल अभिलेख का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि यह अभिलेख आनन-फानन में आरोपी राजस्व कर्मचारी संजय कुमार सिंह के बचाव में तैयार किया गया है, क्योंकि अभिलेख के आदेश फलक में दिनांक 07.03.2014 को सूचना निर्गत करने का आदेश अंचलाधिकारी, आलमनगर के द्वारा हस्ताक्षरित है, किन्तु सूचना पर निर्गत संख्या-529/ 25.02.14 अंकित है और सूचना पर अंचलाधिकारी, आलमनगर का हस्ताक्षर तिथि रहित है। सूचना राम परीक्षण सिंह, रामवृक्ष सिंह वो जगदीश सिंह पिता भरत सिंह, साकिन-आलमनगर को जारी की गई है, किन्तु सूचना का तामिला उन्हें नहीं कराया गया है, बल्कि सूचना का तामिला ललन सिंह को कराया गया है। स्पष्ट है कि आरोपी राजस्व कर्मचारी श्री संजय कुमार सिंह, जिन्होने दिनांक 03.03.2014 को इस नामांतरण मामले में अपनी जाँच रिर्पोट दी है तथा प्रभारी अंचल निरीक्षक की हैसियत से भी आरोपी राजस्व कर्मचारी संजय कुमार सिंह ने ही दिनांक 03.03.2014 को नामांतरण अस्वीकृत करने की अनुशंसा की है, वे दिनांक 25.02.2014 या उसके पूर्व से ही इस नामांतरण वाद के संदर्भ में आवेदक ललन सिंह के सम्पर्क में थे तथा जान बुझकर अपने स्वार्थ में उन्होने इस मामले में जाँच प्रतिवेदन देने में विलम्ब किया है, जो एक सरकारी कर्मी के आचरण के विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त आरोपी निलंबित राजस्व कर्मचारी श्री संजय कुमार सिंह को परिवादी श्री ललन सिंह के परिवाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर निगरानी धावा दल द्वारा ट्रैप कैस में रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है तथा परिवादी द्वारा आरोपी निलंबित राजस्व कर्मचारी को जानबुझ कर फसाने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएव संचालन पदाधिकारी के मंतब्य से सहमत होते हुए आरोपी निलंबित राजस्व कर्मचारी श्री संजय कुमार सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत किया जाता है।

निष्कर्ष :-

संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं आरोपी राजस्व कर्मचारी का द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरान्त श्री संजय कुमार सिंह को दिनांक 01.04.2014 को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ निगरानी धावा दल द्वारा पकड़े जाने एवं भ्रष्ट आचरण करने तथा अपने कर्त्तब्य के प्रति निष्ठावान नहीं रहने का आरोप प्रमाणित है जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3-1(i)(ii)(iii) के प्रतिकूल है। एक सरकारी कर्मचारी के लिये कार्य के बदले रिश्वत लेना गंभीर मामला है। ऐसी स्थिति में इन्हें सेवा में रखना सरकारी शील निष्ठा एवं छवि को धुमिल करना है। इन्हें कठोर दण्ड देना अनिवार्य हो गया है अन्यथा भ्रष्टाचार एवं अराजकता को बढ़ावा मिलेगा तथा सरकारी कर्मियों के बीच गलत संदेश जायेगा।

अतः मैं मो0 सोहैल, भा0प्र0से0 जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, मधेपुरा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 यथासंशोधित-2007 के नियम 14(xi) में निहित शास्तियाँ के आलोक में श्री संजय कुमार सिंह, निलंबित राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, आलमनगर को पत्र निर्गत की तिथि से सरकारी सेवा से बर्खास्त (Dismiss) करता हूँ। भविष्य में

इन्हें पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं अन्य सेवान्त लाभ देय नहीं होगा। भविष्य में सरकार के अधीन नियोजन के लिये निरर्हता होगी। श्री संजय कुमार सिंह से संबंधित पूर्ण विवरणी निम्नवत है:-

1. नामः- श्री संजय कुमार सिंह
2. पिता का नामः- स्व0 महेन्द्र नारायण सिंह
3. जन्म तिथिः- 05.03.1965
4. नियुक्ति की तिथिः- 13.10.1993
5. वेतनमानः- 5200-20200
6. ग्रेड पेः- 1900
7. स्थायी पताः- ग्राम+पो0-अर्राहा, थाना-घैलाढ़, जिला-मधेपुरा।

इसकी सूचना सभी संबंधितो को दी जाय।

ह0/-

जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 25-2 /स्था0, मधेपुरा, दिनांक 08/01/2016

प्रतिलिपिः-श्री संजय कुमार सिंह, पिता- स्व0 महेन्द्र नारायण सिंह, ग्राम+पो0-अर्राहा, थाना-घैलाढ़, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अंचल अधिकारी, आलमनगर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि श्री संजय कुमार सिंह, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, आलमनगर के सेवापुस्त में तत्संबंधी प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः-कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/कार्यपालक परियोजना पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/ अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा/अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा/उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को जिला वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
मधेपुरा